राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3014/2018

मनोहर लाल पुत्र स्व. सोनाराम, उम्र लगभग 51 वर्ष, बी/सी विश्नोई, नोसर पी.एस. ओसियां जिला. जोधपुर वर्तमान में पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस लाइन जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, पीपी के माध्यम से।

2. ओम प्रकाश पुत्र स्व. आसु लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, बी/सी कलाल, निवासी सूरसागर भुरटिया जिला जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिककर्ता (गण) की ओर से	:	श्री चिरंजी लाल माली
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री मुख्तियार खान, पीपी आर. 2 के लिए कोई भी उपस्थित नहीं

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्टबल

01/05/2023

1. याचिककर्ता-अभियुक्त इस आपराधिक विविध याचिका में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2009 की आलोचना करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 482 के तहत इस न्यायालय में आया है। आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 89/2008 में जोधपुर (संक्षेप में "पुनरीक्षण न्यायालय") जिसका शीर्षक ओम प्रकाश बनाम राज्य है। जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 ओम प्रकाश (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर पुनरीक्षण की अनुमति दी गई थी और आपराधिक शिकायत संख्या 32/2007 का शीर्षक ओम प्रकाश बनाम में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6, जोधपुर (संक्षेप में "ट्रायल

कोर्ट") द्वारा दिनांक 03.04.2008 को आदेश पारित किया गया था, को अपास्त कर दिया गया।

2. पुनरीक्षण अदालत ने उक्त आदेश को अपास्त करते हुए निचली अदालतको याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेने और मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया। इस आदेश को याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने तत्काल आपराधिक याचिका में चुनौती दी है।

3. तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाकर निचली अदालतमें एक आपराधिक शिकायत दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने विभिन्न तथ्यों का वर्णन करते हुए उक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की और अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि आरोपियों और उनके परिवार सदस्यों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 458, 427, 363, 147, 148, 379, 365, 323 के साथ पठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

4. निचली अदालतने दिनांक 03.04.2008 के आदेश द्वारा उक्त शिकायत को अपास्त कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई और दिनांक 06.01.2009 के आक्षेपित आदेश के तहत पुनरीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त बताए अनुसार पुनरीक्षण की अनुमति दी थी।

5. विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या संदिग्ध/प्रस्तावित अभियुक्त, निचली अदालतमजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत को अपास्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई का पात्र है।

6. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री चिरंजी लाल माली ने जोरदार और उत्साहपूर्वक तर्क दिया है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश, प्राकृतिक न्याय और कानून के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण, स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसलिए यह उचित है और अपास्त किया जाना है।

7. श्री माली का पहला तर्क यह है कि उक्त आदेश अभियुक्त को बिना सूचना दिये पारित किया गया था; कि आरोपी निचली अदालतके आदेश को चुनौती देने वाले शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण में सुनवाई का पात्र था। यह तर्क दिया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण में अभियुक्त को सुने जाने का अधिकार है क्योंकि अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसे संहिता की धारा 399 के साथ पठित धारा 398 और 401 (2) के तहत सुनवाई का अवसर न मिला हो। आगे यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है और यदि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका प्रभाव शिकायत को पुनर्जीवित करने और आपराधिक प्रक्रिया को वापस गति में लाने पर होगा, जो निश्चित रूप से प्रतिकूल होगा। अभियुक्त को और ऐसा कोई भी पूर्वाग्रहपूर्ण आदेश पारित करने से पहले, अभियुक्त को सुना जाना चाहिए।

8. श्री माली का दूसरा तर्क यह है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 398 के प्रावधान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। पुनरीक्षण का निपटारा करते समय, पुनरीक्षण न्यायालय न तो स्वयं संज्ञान ले सकता है और न ही निचली अदालतको किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का निर्देश दे सकता है, उन्होंने आग्रह किया कि अपीलार्थी के खिलाफ पारित किया गया आदेश कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसे अपास्त किया जाए।

9. निम्नलिखित निर्णयों पर अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा रखा गया था:-

1. (2020) 1 उच्चतम न्यायालय केस (सीआरआई) 94 केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अरविन्द खन्ना
2. 2021(3) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 721 सचिन सिंघल बनाम पुलिस अधीक्षक
3. 2012(4) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 1817 सैयद अली बनाम. राजस्थान

सरकार एवं अन्य

4. एआईआर 2020 उच्चतम न्यायालय 3324

5. सुभाष साहेब राव देशमुख बनाम सतीश आत्माराम तालेकर एवं अन्य।

6. 2013 सीआरआई.एल.जे.144

7. मनहरिभाई मुलजीभाई और अन्य बनाम शैलेश भाई मोहनभाई पटेल

10. विद्वान लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के संबंध में विधिक स्थिति पर विवाद नहीं किया है।

11. मैंने अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता और विद्वान लोक अभियोजक श्री चिरंजी लाल माली को सुना है और आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया है।

12. प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद यह स्थापित कानून है कि सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका में, संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को अपास्त करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए, आरोपी या जिस व्यक्ति पर संदेह है अपराध किया है तो पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई का पात्र है। दूसरे शब्दों में, क्या शिकायत को मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 203 के तहत अपास्त कर दिया गया है, शिकायतकर्ता द्वारा सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका में उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने पर, जिन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है शिकायत को ऐसी पुनरीक्षण याचिका में सुनवाई का अधिकार है। यहां तक कि प्रस्तावित अभियुक्त/संदिग्ध को प्रत्यर्थी बनाए बिना पुनरीक्षण भी दर्ज नहीं किया जा सकता। यह संहिता की धारा 399 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 398 और 401 (2) की स्पष्ट आवश्यकता है।

13. हालाँकि, यदि पुनरीक्षण अदालत शिकायत को अपास्त करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को पलट देती है और शिकायत को मजिस्ट्रेट द्वारा फ़ाइल में बहाल कर दिया जाता है और इसे नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है, तो वह व्यक्ति, जिस पर शिकायत में आरोपी के रूप में आरोप लगाया

गया है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष फिर से शुरू की गई कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह किसी भी प्रकार की सुनवाई का पात्र है, जब तक कि मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित नहीं कर देता।

14. तात्कालिक मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने उस व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है जिस पर मुकदमा चलाया जाना है अर्थात अपीलार्थी, इस प्रकार, संहिता की धारा 399 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 398 और 401 (2) के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा इसलिए, यदि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नोटिस जारी किए बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो इसे अपास्त किया जा सकता है।

15. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दूसरी दलील का प्रश्न है, निम्नलिखित आदेश दिनांक 06.01.2009 को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था: -

> परिवादी मय वकील अनुपस्थित। परिवादी मय वकील गत पेशी पर भी उपस्थित नहीं थे और आज भी अनुपस्थित है। बार-बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए व साक्षीगण के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया लिखित धाराओं में अपराध बनना पाया नहीं जाता है। अतः परिवादी का परिवाद अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16. यदि संहिता की धारा 398 की सरल भाषा पर अक्षरशः विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब धारा 203 के तहत शिकायत को ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा अपास्त कर दिया गया था, तो पुनरीक्षण अदालत संहिता की धारा 397 के तहत किसी भी रिकॉर्ड की जांच करते समय केवल निर्देश दे सकती थी। ट्रायल मजिस्ट्रेट को मामले की आगे की जांच करने के लिए कहा गया है।

पुनरीक्षण अदालत के पास निचली अदालतको किसी विशेष अपराध के किसी भी आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है।

17. ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की आगे की जांच करने में आवश्यक रूप से रिकॉर्ड पर पहले से उपलब्ध सामग्री पर पुनर्विचार करने के बाद, पुनरीक्षण अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद या विशिष्ट पहलुओं या तथ्यों के प्रकाश में नए आदेश पारित करना भी शामिल है।

18. उपरोक्त दृष्टिकोण से देखने पर, वर्तमान मामला इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले गया है कि पुनरीक्षण अदालत ने संहिता की धारा 397 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अपनी शक्ति का उल्लंघन किया है। इस न्यायालय के मद्देनजर, पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित आदेश जिसमें ट्रायल मजिस्ट्रेट को आईपीसी की धारा 341 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिककर्ता के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया है, बिल्कुल गलत और अनावश्यक है।

19. अब, यह अदालत उस स्थिति में प्रभाव पर विचार करती है, जब मामले को नए विचार के लिए पुनरीक्षण अदालत में वापस भेज दिया जाता है और ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रकृति, जो कि धारा 397 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए पुनरीक्षण अदालत के समक्ष उपलब्ध है। कोड निम्नलिखित आदेश दिनांक 03.04.2008 को विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था: -

> परिवादी मय वकील अनुपस्थित। परिवादी मय वकील गत पेशी पर भी उपस्थित नहीं थे और आज भी अनुपस्थित है। बार-बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए व साक्षीगण के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया लिखित धाराओं में अपराध बनना पाया नहीं जाता है। अतः परिवादी का परिवाद अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। बाद

तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20. विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त आदेश पारित करते हुए दो विपरीत निष्कर्ष दिये हैं। एक ओर, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने योग्यता के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि कोई अपराध नहीं बनता है और दूसरी ओर, शिकायत को गैर-अभियोजन पक्ष में अपास्त कर दिया गया है। दो विपरीत निष्कर्षों के आधार पर शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। जहां तक प्रथम निष्कर्ष का संबंध है कि कोई मामला नहीं बनता है, कोई तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही यह उल्लेख किया गया है कि विचार करने के लिए रिकॉर्ड पर किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी। दूसरे शब्दों में, शिकायत को अपास्त करते हुए ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी तरह से गैर-स्पष्ट आदेश पारित किया गया है।

21. यह वास्तव में चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने एक आपराधिक शिकायत पर इतने सरसरी तरीके से निर्णय किया है। यह बताते हुए खेद का विषय है कि विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने विरोधाभासी आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड के साथ-साथ लागू कानून को भी देखने की परवाह नहीं की, जो एक न्यायिक अधिकारी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। किसी आपराधिक शिकायत को अपास्त करने का आदेश ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा इतने आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है। इस तरह के आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करना होगा और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और अपने कारणों का प्रकटन करते हुए एक निश्चित और निर्णायक निर्णय पर पहुंचना होगा।दिनांक 03.04.2008 के आदेश के मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक दिमाग नहीं लगाया या रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर ध्यान नहीं दिया या कानून की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया। जाहिर तौर पर, विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने बहुत ही लापरवाही, संवेदनहीन और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया और एक न्यायिक अधिकारी से ऐसे विरोधाभासी आदेश की आशा नहीं की जाती है जो निश्चित रूप से न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर

देगा।

22. जहां तक शिकायत को अपास्त करने का प्रश्न है, संहिता का अध्याय XV मजिस्ट्रेट को शिकायत से संबंधित है। इस अध्याय में धारा 200 से 203 तक शामिल हैं और अंतिम धारा को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:-

> "203. **शिकायत को अपास्त करना-** यदि, शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों (यदि कोई हो) और धारा 202 के तहत पूछताछ या जांच (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के बाद, मजिस्ट्रेट की राय है कि कोई पर्याप्त आधार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, वह शिकायत को अपास्त कर देगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करेगा।"
>
> अध्याय XVI मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। धारा 256 उस स्थिति की बात करती है जब शिकायतकर्ता किसी ऐसे मामले के संबंध में नियत दिन पर समन मामले में उपस्थित नहीं होता है जहां "शिकायत पर समन जारी किया गया है"। धारा 249 उस स्थिति से संबंधित है जब शिकायतकर्ता वारंट मामले में मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित किसी भी तारीख पर अनुपस्थित होता है। इस खंड को अध्याय XIX में जगह मिलती है।

23. माना जाता है कि, मौजूदा मामले में कोई प्रक्रिया जारी नहीं की गई थी और शिकायत के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी। आरोपी को तलब करने के चरण तक पहुंचने से पहले शिकायत को अपास्त कर दिया गया है, बर्खास्तगी को संहिता की धारा 203 के तहत माना जाएगा, भले ही बर्खास्तगी के आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई धारा निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

24. निश्चित रूप से, यदि शिकायतकर्ता साक्ष्य देने में विफल रहता है या अन्यथा रुचि की कमी दिखाता है, तो ट्रायल मजिस्ट्रेट संज्ञान के बाद के चरण में

गैर-अभियोजन के लिए शिकायत को अपास्त कर सकता है। मैं विद्वान लोक अभियोजक के तर्कों का समर्थन करने में असमर्थ हूं कि बर्खास्तगी संहिता की धारा 256 या 249 के तहत हो सकती है, न कि संहिता की धारा 203 के तहत।

25. संहिता की धारा 256 और 249 स्पष्ट रूप से उस चरण से संबंधित हैं जब मुकदमा शुरू हुआ है, न कि जब जांच लंबित है। मौजूदा मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि शिकायत को पूर्व-संज्ञान चरण में अपास्त कर दिया गया था और पूर्व-संज्ञान चरण में, धारा 203 के तहत गैर-अभियोजन या डिफ़ॉल्ट के लिए शिकायत को अपास्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोड यदि शिकायत आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, न कि किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जो पूर्व-संज्ञान चरण में डिफ़ॉल्ट रूप से शिकायत को अपास्त करने का प्रावधान करता है।

26. पूर्व-संज्ञान के चरण में, किसी शिकायत का निपटारा केवल संहिता की धारा 203 के तहत किया जा सकता है, जिसके अनुसार यदि, शिकायत और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों (यदि कोई हो) पर विचार करने और परिणाम के बाद संहिता की धारा 202 के तहत पूछताछ या जांच (यदि कोई हो), मजिस्ट्रेट की राय है कि आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह शिकायत को अपास्त कर देगा और ऐसे प्रत्येक बर्खास्तगी आदेश में वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करेगा।

27. दूसरे शब्दों में, पूर्व-संज्ञान चरण में किसी शिकायत को केवल इस आधार पर अपास्त किया जा सकता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, भले ही शिकायतकर्ता सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित हो। आपराधिक प्रक्रिया संहिता पूर्व-संज्ञान चरण में गैर-अभियोजन पक्ष में शिकायत को अपास्त करने के लिए ट्रायल मजिस्ट्रेट को किसी भी शक्ति पर विचार नहीं करती है, अगर यह किसी विशेष अधिनियम के तहत दायर नहीं किया गया है जो ऐसा प्रदान कर सकता है।

28. निचली अदालतों के दोनों आदेशों को पढ़ने और दोनों पक्षों के विद्वान

अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 03.04.2008 का आदेश भी टिकाऊ नहीं है। ट्रायल मजिस्ट्रेट का दिनांक 03.04.2008 का आदेश कानून की नजर में न्यायिक आदेश नहीं है, इसलिए पुनरीक्षण अदालत के दिनांक 06.01.2009 के आदेश के अलावा, मामले को नए सिरे से निर्णय करने के लिए ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए इसे भी अपास्त करने की आवश्यकता है।

29. उपरोक्त कारणों से, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है। पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2009 और विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2008 को अपास्त कर दिया गया है और मामला नए विचार के लिए ट्रायल मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है। ट्रायल मजिस्ट्रेट अब मामले की सुनवाई करेगा और उस चरण से आगे बढ़ेगा जहां शिकायत अपास्त की गई थी और कानून के अनुसार उस पर निर्णय करेगा।

30. निचली अदालतशिकायतकर्ता को उपस्थिति की तारीख का नोटिस जारी करेगा और नोटिस की व्यक्तिगत तामील सुनिश्चित करने के बाद, मामले की आगे सुनवाई करेगा और फिर उसकी संतुष्टि के लिए एक नया तर्क और सकारण आदेश पारित करेगा।

31. निचली अदालतइस न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी निष्कर्ष और पालन से प्रभावित नहीं होगा।

32. चूंकि शिकायत लगभग 16 वर्ष पहले दर्ज की गई थी, इसलिए ट्रायल मजिस्ट्रेट से 31.07.2023 तक शिकायत पर निर्णय करने की आशा है। बता दें कि ट्रायल मजिस्ट्रेट 01.08.2023 को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

33. उपरोक्त शर्तों में याचिका स्वीकार की जाती है।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी),न्यायमूर्ति

2-nitin/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।